

प्रेस नोट

थाना माधौटाण्डा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 12 हजार का ईनामी

अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 02.10.2020 को उ0नि0 नरेन्द्र सिंह मय हमराहीयान कर्मचारी गण के थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 251/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त जसमिन्दर सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर थाना माधौटाडा जिला पीलीभीत जो कि काफी दिनों से फरार चल रहा था को मय 20 लीटर शराब खाम मय शराब बनाने के उपकरण के साथ अवैध शराब की कसीदगी करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त काफी दबिशे देने के उपरान्त भी गिरफ्तार नहीं हो सका था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पूर्व में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत द्वारा 12 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। उपरोक्त अभियुक्त थाना माधोटांडा के टॉप 10 अपराधी में है।

अभियुक्त जसमिन्दर सिंह पुत्र रतन सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास निम्नवत है।

- 1- मु0अ0स0 119/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना माधोटांडा।
- 2- मु0अ0स0 361/20 धारा 60(2)/72 आबकारी अधिनियम थाना माधोटांडा।
- 3- मु0अ0स0 251/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना माधोटांडा।
- 4- मु0अ0स0 286/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना माधोटांडा।

पुलिस टीम—

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह थाना माधोटांडा।
2. का0 963 अमरपाल थाना माधोटांडा।
3. का0 958 पविन्द्र थाना माधोटांडा।
4. का0 1473 समीर थाना माधोटांडा।